

निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड

मि0न0 30/अपील/20

तारिख दायरा: 11.08.2020

उन्वान अपील

प्रेमलता तंवर पत्नी चैनसिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत कोहडीझर तहसील अकलेरा जिला झालावाड (अपीलार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें जिला रसद अधिकारी,झालावाड जिला झालावाड (रेस्प0)

अपील विरुद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी झालावाड प्रकरण संख्या 45/2020 दिनांक 17.07.2020 में पारित किया गया।

उपस्थित:- श्री राम माहेश्वरी अभिभाषक अपीलान्त परोकार रसद

-: निर्णय :-

दिनांक: 03.09.2020

यह अपील अपीलान्त द्वारा जिला रसद अधिकारी झालावाड के आदेश दिनांक 17.07.2020 जो मिसल नं0 45/20 में पारित किया से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक अपीलान्त ने अपने अपील में निवेदन किया है कि जिला रसद अधिकारी झालावाड द्वारा गलत तौर से अपने निर्णय दिनांक 17.07.2020 से अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत कोहडीझर तहसील अकलेरा का उचित मूल्य हेतु जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्तराज करते हुए निरस्त करने का आदेश मनामांग के प्रेशियस तथा परवर्स होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना निर्णय जैर अपील पारित कर कानूनी भूल की है, अपीलार्थी द्वारा किसी तरह की अनियमितता नहीं बरती है और ना ही किसी तरह का अवैध ट्रांजिक्शन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियम) आदेश 1976 के खण्ड 8 की शक्तियों का गलत तौर से प्रयोग कर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्प0 को तलब किया गया। रेस्प0 की ओर से परोकार रसद उपस्थित हुए।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्त ने बहस अपील में की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि जिला रसद अधिकारी झालावाड द्वारा मिसल नं0 45/20 निर्णय दिनांक 17.07.2020 जिससे अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत कोहडीझर तहसील अकलेरा का उचित मूल्य हेतु जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्तराज करते हुए निरस्त करने का आदेश मनामांग के प्रेशियस तथा परवर्स होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना निर्णय जैर अपील पारित कर कानूनी भूल की है, अपीलार्थी द्वारा किसी तरह की अनियमितता नहीं बरती है और ना ही किसी तरह का अवैध ट्रांजिक्शन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियम) आदेश 1976 के खण्ड 8 की शक्तियों का गलत तौर से प्रयोग कर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर कानूनी भूल की है। अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया जाकर 90 दिवस की अवधि से पूर्व ही प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो निरस्त किया जावे। इस पर परोकार रसद द्वारा व्यक्त किया गया कि अपीलार्थी द्वारा किये गये कृत्य बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाई गई है, अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है, सर्वप्रथम अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया तत्पश्चात बाद सुनवाई प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो उचित है अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है, प्रथमतः अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र 2199-2207 दिनांक 03.04.2020 से 90 दिवस की अवधि के लिये निलम्बित किया गया तत्पश्चात बाद सुनवाई उचित मूल्य दुकानदार श्रीमति प्रेमलता तंवर/चैनसिंह ग्राम पंचायत कोहडीझर तहसील अकलेरा द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान खाद्यान वितरण में प्रदान की गई विभागीय शिथिलता का दुरुप्रयोग करते हुए अवैध तरीके ट्रांजिक्शन किये जाने व इस बाबत कोई संतोषजनक जवाब अथवा वीरा साक्ष्य/सबूत/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से जिला रसद अधिकारी झालावाड द्वारा राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियम) आदेश 1976 के खण्ड 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत प्राधिकार पत्र समस्त प्रतिभूति राशि जप्तराज करते हुए निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी झालावाड द्वारा की गई कार्यवाही विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार सम्पादित की गई है जो उचित है ऐसी स्थिति में उक्त उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। पत्रावली फंसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल हफ्तत हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड